UPBJ010029152026

न्यायालय अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं० 1, बिजनौर।

पीठासीन अधिकारी– (राम अवतार यादव) (उच्चतर न्यायिक सेवा)–UP06041

जमानत प्रार्थनापत्र संख्या–774/2026

शमशाद पुत्र खलील अहमद निवासी ग्राम मंसूर सराय थाना स्योहारा, जिला बिजनौर।

................प्रार्थी/अभियुक्त

बनाम

उत्तर प्रदेश राज्य।

................अभियोजन पक्ष

मुकदमा अपराध सं०–426/2025
धारा–103(1), 238 ए, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता।
थाना–स्योहारा, जिला बिजनौर।

दिनांक 11–03–2026

01. यह प्रार्थनापत्र वास्ते जमानत अभियुक्त शमशाद की ओर से मुकदमा अपराध संख्या 426/2025 अन्तर्गत धारा–103(1), 238 ए, 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता थाना स्योहारा, जिला बिजनौर के प्रकरण में प्रस्तुत किया गया है, जो शपथपत्र द्वारा समर्थित है।

02. जमानत प्रार्थनापत्र पर अभियुक्त के विद्वान अधिवक्ता तथा विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) की बहस को सुना तथा उपलब्ध प्रपत्रों का परिशीलन किया।

03. अभियोजन कथानक संक्षेप में यह है कि वादी मुकदमा नफीस द्वारा थाना स्योहारा पर इस आशय की तहरीर प्रस्तुत की गयी कि 'प्रार्थी नफीस पुत्र शरीफ ग्राम बुढेरन थाना स्योहारा जिला बिजनौर का रहने वाला है। कल दिनांक 08.11.2025 की रात्रि को मेरा बेटा सलमान उम्र करीब 22 वर्ष खाना खाकर समय करीब 08:00 बजे घर से बाहर गांव में गया था। दिनांक 09.11.2025 की सुबह तक सलमान घर पर वापस नहीं आया तो हमने उसकी तलाश करना शुरु कर दी। तलाश करने के दौरान ही हमारे घर से कुछ दूरी पर स्थित आम के बाग में मेरा पुत्र सलमान मृत अवस्था में पड़ा मिला, जिसके माथे पर चोट का निशान है। इस संबंध में मेरे रिश्देतार जाने आलम ने मुझे सूचना दी तथा पुलिस को भी दी। हमारी मेरे गांव के ही नदीम व वकील से पुरानी मुकदमेवाजी है, जिसकी यह लोग रंजिश रखते है। इस कारण मुझे पूर्ण आशंका है कि मेरे पुत्र सलमान की हत्या मेरे ही गांव के नदीम व

Digitally signed by RAM AUTAR YADAV
Date: 2026.03.11 17:12:54 IST
Reason: Document Owner
Location: District and Sessions Court

वकील ने गोली मारकर की है। इस संबंध में रिपोर्ट लिखाने थाने आया हूं। रिपोर्ट दर्ज कर कानूनी कार्यवाही करने की याचना की गयी।'

04. वादी मुकदमा नफीस की उक्त तहरीर के आधार पर थाना स्योहारा, जिला बिजनौर पर मुकदमा अपराध संख्या 426/2025, अन्तर्गत धारा–103(1) भारतीय न्याय संहिता का अभियोग नामित अभियुक्तगण नदीम व वकील के विरुद्ध पंजीकृत किया गया। दौरान विवेचना यह पाया गया कि वादी मुकदमा नफीस ने अन्य सह–अभियुक्त महावीर व वर्तमान अभियुक्त शमशाद के साथ मिलकर अपने पुत्र सलमान की हत्या कारित की थी तथा उपरोक्त मुकदमे में धारा–238(क), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता की बढ़ोत्तरी की गयी।

05. अभियुक्त की ओर से जमानत प्रार्थनापत्र में किये गये कथनों के समरूप तर्क प्रस्तुत करते हुए कथन किया गया है कि प्रार्थी को वाद उपरोक्त में झूठा व रंजिशन अभियुक्त बनाया गया है। प्रार्थी निर्दोष है। प्रार्थी ने कोई अपराध नहीं किया है। घटना की प्रथम सूचना रिपोर्ट देरी से दर्ज करायी गयी है, जिसका कोई स्पष्टीकरण प्रथम सूचना रिपोर्ट में नहीं दिया गया है। प्रार्थी प्रथम सूचना रिपोर्ट में नामजद अभियुक्त नहीं है। प्रार्थी को मात्र परिस्थितिजन्य साक्ष्य के आधार पर झूठा अभियुक्त बनाया गया है। घटना का कोई प्रत्यक्षदर्शी साक्ष्य नहीं है। प्रार्थी ने मृतक सलमान की हत्या कारित नहीं की है। प्रार्थी का कोई आपराधिक इतिहास नहीं है। प्रार्थी दिनांक 15.11.2025 से जिला कारागार में निरुद्ध है। प्रार्थी अपनी उचित जमानत दाखिल करने को तैयार है। अतः प्रार्थी/अभियुक्त को दौरान मुकदमा जमानत पर रिहा किये जाने की याचना की गयी है।

06. विद्वान सहायक जिला शासकीय अधिवक्ता (फौजदारी) द्वारा जमानत प्रार्थनापत्र का विरोध करते हुए तर्क किया गया कि अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ मिलकर सामान्य आशय के अग्रसरण में षड्यंत्र करके वादी मुकदमा नफीस के पुत्र सलमान की हत्या करने तथा हत्या करके शव को बाग में छिपाकर साक्ष्य का विलोपन करने का आरोप है। अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है। अन्य सह–अभियुक्त की जमानत पूर्व में निरस्त की जा चुकी है। अतः अभियुक्त की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने पर बल दिया गया है।

07. पत्रावली के अवलोकन से स्पष्ट है कि उपरोक्त मामले में वादी मुकदमा नफीस जो वर्तमान में इसी मामले में अभियुक्त है, के द्वारा अभियुक्तगण नदीम व वकील के विरुद्ध उसके पुत्र सलमान की हत्या करने के आधार पर मुकदमा दर्ज कराया गया। दौरान विवेचना वर्तमान अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण महावीर उर्फ पप्पू व नफीस जो आरम्भ में वादी था, के नाम प्रकाश में आये हैं तथा उनके विरुद्ध धारा–103(1), 238(क), 61(2), 3(5) भारतीय न्याय संहिता में विवेचना प्रचलित की गयी। उपरोक्त मामले में अभियुक्त पर अन्य सह–अभियुक्तगण के साथ

मिलकर षड्यंत्र करके सलमान की हत्या करने व उसके शव को बाग में छिपाकर साक्ष्य का विलोपन करने का आरोप है। सी०डी० के पर्चा सं० 5 पर अंकित गवाह मौ० महताब ने कथित घटना में वादी/सह–अभियुक्त नफीस का हाथ होना बताया है तथा सी०डी० के पर्चा सं० 6 पर अंकित स्वतंत्र गवाह नसीम अहमद ने अपने बयान में अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा उसके घर आकर उससे कथित घटना कारित किये जाने का जुर्म इकबाल किये जाने का उल्लेख किया है जिसमें साक्षी ने स्पष्ट रूप से यह बताया है कि दिनाँक 12.11.2025 को सलमान के पिता नफीस व दो व्यक्ति महावीर उर्फ पप्पू व शमशाद के साथ उसके घर पर आये, तीनों लोग घबराये हुये थे तथा उसे अलग कमरे में ले जाकर नफीस ने बताया कि उससे बहुत गलत काम हो गया है। उसके द्वारा लिखाये गये मुकदमे को पुलिस से कहकर खत्म करा दो उसने नफीस से कारण पूछा और सच्चाई बताने को कहा तो नफीस ने बताया कि उसका बेटा सलमान नशे का आदी था और घर पर नशे की हालत में आकर एक दिन अपनी सगी बहन अक्शा के साथ गलत हरकत करने लगा जिस पर उसने उसे घर से निकाल दिया फिर भी वह अपनी हरकत से बाज नहीं आया और आये दिन हरकतों को करने लगा, यह बात उसने अपने साथी महावीर व शमशाद को बतायी तो इनका भी दिल भर आया और कहने लगे ऐसी औलाद का तो मर जाना ही अच्छा है और दिनाँक 08.11.2025 को अपने साथी महावीर व शमशाद को शराब पिलाकर सलमान की हत्या करने का षडयन्त्र बनाया तथा उसके बाद तीनों नफीस के घर जाकर चारपाई पर लेट गये कुछ समय बाद सलमान नशे की हालत में घर आया और बुरा भला कहने लगा और अन्दर कमरे में जाकर लेट गया उसके बाद घर की लाईट बन्द करके तेज आवाज में गाने बजा दिये कि किसी को सलमान की आवाज बाहर न सुनाई दे, उसके बाद तीनों ने सोते हुये सलमान को दबा लिया, नफीस ने सलमान के पैर पकड़े तथा शमशाद ने गर्दन दबायी उसी समय पप्पू ने उसके सिर पर ईंट से वार किया जो लहु लुहान होकर मौके पर ही मर गया और किसी को शक न हो उसकी लाश को घर के ही पास फेंक आये थे। गवाहान अक्शा पुत्री नफीस, सलमा पत्नी नफीस व चान्द मौहम्मद के बयानों में भी सह–अभियुक्त नफीस द्वारा अभियुक्त शमशाद व अन्य सह–अभियुक्त महावीर उर्फ पप्पू के साथ मिलकर मृतक सलमान की हत्या किये जाने का उल्लेख है। इस प्रकार मृतक सलमान की हत्या अभियुक्त शमशाद व अन्य सह–अभियुक्तगण द्वारा किया जाना बताया गया है। पत्रावली पर उपलब्ध मृतक सलमान की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में मृतक के शरीर पर चोट नं० 1 में 3 लैसीरेटेड बुंड क्रमशः माथे व सिर पर, चोट नं० 2,4 व 5 अब्रेजन क्रमशः सिर, होठ व गले पर तथा चोट नं० 6 सूजन आंख पर होना तथा मृत्यु का कारण 'ASPHYXIA DUE TO ANTE MORTEM THROTTLING' अंकित किया गया है। अभियुक्त व अन्य सह–अभियुक्त की निशादेही पर आलाकत्ल ईंट बरामद हुई है। सह–अभियुक्त महावीर उर्फ पप्पू का जमानत प्रार्थनापत्र दिनांक 03.02.2026 को निरस्त किया जा चुका है।

अभियुक्त द्वारा कारित अपराध गम्भीर प्रकृति का है।

08. अतः मामले के तथ्य एवं परिस्थितियों तथा अभियुक्त द्वारा कारित अपराध की प्रकृति को दृष्टिगत रखते हुये, प्रकरण के गुण–दोष पर कोई टिप्पणी किये बिना न्यायालय की राय में अभियुक्त को जमानत पर मुक्त किये जाने का पर्याप्त आधार नहीं पाया जाता है। अतः अभियुक्त का जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किये जाने योग्य है।

आदेश

09. अभियुक्त शमशाद की ओर से प्रस्तुत जमानत प्रार्थनापत्र निरस्त किया जाता है।

दिनाँक 11–03–2026

(राम अवतार यादव)
अपर सत्र न्यायाधीश, कोर्ट नं०–1,
बिजनौर।